

कार्यालय संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर

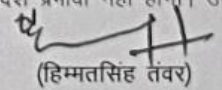
कार्यालय आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II/सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कॉलम संख्या 8 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है:-

S. No.	Emp Code	Emp Name	Post	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		Remarks
					Name of School	District	Name of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RJL201821021 132	JASWANT RAJ	Senior Teacher	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAGNANIYO KI DHANI (226788)	BARMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LANGERA (220879)	BARMER	--
2	RJO20072401 3823	DURGA PAREEK	Senior Teacher	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAL (219632)	JODHPUR	SH CHAGANRAJ CHOPASANI WALA GGSSS JALORI GATE JODHPUR (220382)	JODHPUR	--
3	RJO20172504 1073	NIDHI BHARGAVA	Librarian (II Gr.)	---	YASHODA DEVI GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MATHANIA (219010)	JODHPUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MAHILA BAG JODHPUR (220379)	JODHPUR	--
4	RJO20072500 8109	KAMOD KANWAR	Senior Assistant	---	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BAORI (220349)	JODHPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDORE NO 1 (220402)	JODHPUR	--
5	RJO20182401 5073	PRAMOD PAREEK	Senior Assistant	---	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDORE NO 1 (220402)	JODHPUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BAORI (220349)	JODHPUR	TA-DA
6	RJO20172400 0007	VEENIT ACHARYA	Assistant Administrative Officer	---	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHINYASARIYA DECHU (220217)	PHALODI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHALAMAND (219655)	JODHPUR	--
7	RJO20172400 2468	BHAVNA RATHORE	Assistant Administrative Officer	---	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TINWARI (219007)	JODHPUR	Office of District Education Officer Legal (Secondary), Jodhpur (W.E.F 01-11-2026)	JODHPUR	--
8	RJO20012400 4182	VIRENDRA SINGH RATHORE	Assistant Administrative Officer	---	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHALAMAND (219655)	JODHPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JIYABERI BALEGAR (225093)	JODHPUR	TA-DA

उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- 1 संबंधित कार्मिकों को विभागीय शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण करवावे।
- 2 जनगणना/ओबीसी सर्वे कार्य में कार्यरत कार्मिकों को जनगणना/ओबीसी सर्वे हेतु प्राधिकृत अधिकारी की सक्षम स्वीकृति के उपरान्त ही कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 3 राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद् एवं नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 संबंधित कार्मिकों को आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्ति किया जाना सुनिश्चित करावे अन्यथा किसी प्रतिकूल स्थिति के लिए आप स्वयं व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।
- 5 यदि पूर्व में कार्यरत कार्मिक या अन्य कारणों से (न्यायालय प्रकरणों को छोड़कर) दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो पूर्व में कार्यरत कार्मिक इस कार्यालय हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्ति किया जाना सुनिश्चित करावे।
- 6 समस्त प्रकार की प्रतिनियुक्ति (144-क)/साक्षात्कार/महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति समाप्ति/प्रत्यावर्तन करते हुए किया गया है। अतः उक्त संबंधित कार्मिकों को नवीन स्थानांतरित स्थान के लिए कार्यमुक्ति किया जाना सुनिश्चित करावे।
- 7 स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है।
- 8 स्वेच्छा से स्थानांतरित हुए कार्मिक से कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना है कि मेरा स्थानान्तरण स्वेच्छा से हुआ है और मैं इस हेतु नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ते की मांग नहीं करूंगा।
- 9 लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक रथगन प्राप्त कार्मिकों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियावन्धन ना करते हुए तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- 10 पद विरुद्ध कोई अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित कार्मिक को कार्यग्रहण करवाकर अन्य कार्मिक को इस कार्यालय को आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्ति करावे।
- 11 मातृत्व अवकाश स्वीकृत कार्मिकों को अवकाश अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्यग्रहण करवाया जाकर आगामी कार्य दिवस में स्थानांतरित स्थान हेतु कार्यमुक्ति करना सुनिश्चित करावे।
- 12 सूची में यदि ऐसे कार्मिक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति हो चुकी है, उनके संबंध में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। उक्त कार्मिकों के संबंध में अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करावे।

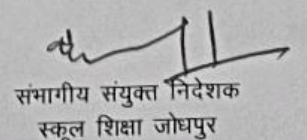

(हिम्मतसिंह तवर)

संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा जोधपुर

दिनांक:-10-07-2026

क्रमांक:-ईजेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईसी/स्थानान्तरण/2026/216
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- 4 निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 5 कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/पीईईओ/यूसीईईओ।
- 7 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
- 8 रक्षित पत्रावली।


संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा जोधपुर